[भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10 /2019- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2019

सा. का. नि.......(अ.).- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून 2017, के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर ''10'' आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर ''10'' के स्थान पर अंक और अक्षर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.354/32/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में

प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2019, केंद्रीय कर (दर), सा.का.नि. 250 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।